कार्यालय नगर परिषद् माकड़ोन जिला उज्जन (म0प्र0)

राजस्व / 2025 / 1798 माकड़ोन, दिनांक 19/08/25

-:: दुकान आवंटन हेतु ई–निविदा सूचना ::-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद माकड़ोन द्वारा न्यु बस स्टेण्ड पर प्रथम तल पर निर्माणाधीन दुकानों के निविदा प्रस्ताव मध्यप्रदेश नगर(अचल सम्पत्ति अन्तरण) नियम 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत राईट ऑफ आक्यूपेशन के तहत ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं–

क्र	टेंडर आई.डी. क्रमांक	दुकान कमांक	वार्ड कमांक	दुकान का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	दुकान का आरक्षित मूल्य	अमानत राशि 2.5 प्रतिशत	आरक्षण की स्थिति	निविदा प्रपत्र की राशि
1	2025_UAD_444985_1	1	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.ज.जा.	2000
2	2025_UAD_444985_2	2	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित महिला(विधवा)	2000
3	2025_UAD_444985_3	3	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.जा.	2000
4	2025_UAD_444985_4	4	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
5	2025_UAD_444985_5	5	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
6	2025_UAD_444985_6	6	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
7	2025_UAD_444985_7	7	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
8	2025_UAD_444985_8	8	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.पि.वर्ग	2000
9	2025_UAD_444985_9	9	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.जा.	2000
10	2025_UAD_444985_10	10	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
11	2025_UAD_444985_11	11	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
12	2025_UAD_444985_12	12	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.जा.	2000
13	2025_UAD_444985_13	13	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.जा.	2000
14	2025_UAD_444985_14	14	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
15	2025_UAD_444985_15	15	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
16	2025_UAD_444985_16	16	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.जा.	2000
17	2025_UAD_444985_17	17	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.जा.	2000
18	2025_UAD_444985_18	18	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
19	2025_UAD_444985_19	19	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.जा.	2000
20	2025_UAD_444985_20	20	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.ज.जा.	2000

• ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी दिनांक 02.09.2025 को सांय 5.00 बजे तक रहेगी। ई–ऑक्शन की जानकारी केवल पोर्टल के माध्यम से दी जावेगी। ई–निविदा की शर्तें एवं अन्य जानकारी www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

(श्रीमती आशाबाई गोकुल राठौर)	(श्रीमती कलाबाई होकम सिंह गामी)	(श्री करण सिंह गुर्जर)	(श्री कैलाशचन्द्र कर्मा)
अध्यक्ष	सभापति राजस्व एवं बाजार समिति	उपाध्यक्ष	मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद माकडोन	नगर परिषद माकडोन	नगर परिषद माकडोन	नगर परिषद माकडोन

पृष्ठां.क्रमांक / राजस्व / 2025 / 1798 माकड़ोन, दिनांक 19/08/25

प्रतिलिपि–

1– संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
2– अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)अनुभाग,तराना की ओर सूचनार्थ।
3– कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4– जनपद पंचायत / तहसील / नगर कार्यालय / उप–पंजीयक कार्यालय एवं नगर के सहगोचर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हेतु।
5– सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन, भोपाल की ओर विभागीय पोर्टल पर चस्पा हेतु।
6– संपादक / संवाददाता .... की ओर आपके समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर जनसंपर्क द्वारा अनुमोदित दर अनुसार देयक प्रस्तुत कर समाचार पत्र की 40 प्रतियां संलग्न करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद माकडोन
जिला उज्जैन(म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद माकडोन उज्जैन (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद माकड़ोन जिला उज्जैन (म0प्र0)

cmomakdon@mpurban.gov.in

नगर परिषद स्वामित्व की न्यु बस स्टेण्ड़ पर प्रथम तल पर निर्माणाधीन दुकानों को अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 दिनांक 24 फरवरी 2016, संशोधन नियम 2021 दिनांक 04 मई 2021 एवं संशोधन नियम 2023 दिनांक 28 मार्च 2023 के अन्तर्गत नीलामी पर दिये जाने के संबंध में नियम एवं शर्ते–

म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा बनाये गये **म0प्र0 नगर पालिका अचल संपत्ति का अंतरण नियम 2016 दिनांक 24 फरवरी 2016, संशोधन नियम 2021 दिनांक 04 मई 2021 एवं संशोधन नियम 2023 दिनांक 28 मार्च 2023** के अनुसार नगर परिषद माकड़ोन, जिला उज्जैन(म0प्र0) अपने स्वामित्व की दुकानों को नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु निम्नलिखित नियम एवं शर्ते अधिरोपित करती है।

1. नगर परिषद स्वामित्व की न्यु बस स्टेण्ड़ पर प्रथम तल पर नर्माणाधीन दुकानों को अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार 30 वर्ष की अवधि हेतु स्वत्व आधिपत्य मासिक किराये पर ई–निविदा के माध्यम से नीलाम की जावेगी।
2. नगर परिषद द्वारा उक्त दुकानो को ई–निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है। उक्त दुकानो का कमांक, साईज आरक्षित मूल्य, आरक्षण अमानत राशि आदि की जानकारी निम्नानुसार है।

क्र	दुकान कमांक	वार्ड कमांक	दुकान का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	दुकान का आरक्षित मूल्य	अमानत राशि 2.5 प्रतिशत	आरक्षण की स्थिति	निविदा प्रपत्र की राशि
1	1	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.ज.जा.	2000
2	2	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित महिला(विधवा)	2000
3	3	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.जा.	2000
4	4	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
5	5	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
6	6	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
7	7	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
8	8	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.पि.वर्ग	2000
9	9	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.जा.	2000
10	10	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
11	11	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
12	12	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.जा.	2000
13	13	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.जा.	2000
14	14	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
15	15	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
16	16	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.जा.	2000
17	17	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.जा.	2000
18	18	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अनारक्षित	2000
19	19	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.जा.	2000
20	20	9	8.55	4,45,000/–	11,125/–	अ.ज.जा.	2000

***अ.जा. – अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. – अनुसूचित जनजाति, अ.पि.वर्ग – अन्य पिछड़ा वर्ग**

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद माकड़ोन,जिला उज्जैन

3. दुकान के किराये का निर्धारण संपत्ति के लिये आरक्षित मूल्य के विरूद्ध प्राप्त अधिकतम मूल्य का 2 प्रतिशत वार्षिक देय होगा परन्तु नगर परिषद प्रत्येक 5 वर्ष में किराये की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकेगी।
4. नगर परिषद द्वारा दुकान की नीलामी हेतु आरक्षित किये गये मूल्य की गणना पर तीन बार निविदा आमंत्रित करने के पश्चात भी निविदाऐं नहीं आने की स्थिति में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास की अनुमति से आरक्षित मूल्य में कमी करके पुनः निविदा आमंत्रित कर सकेगी परन्तु आरक्षित मूल्य में कमी तभी की जायेगी यदि निविदाऐं तीन बार बुलाने पर भी प्राप्त नहीं होती है ओर केवल प्रथम निविदा के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष पश्चात् होगी। इसके अतिरिक्त यह कमी आरक्षित मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक की नहीं की जावेगी।
5. दुकान के लिए निश्चित किया गया आरक्षित मूल्य (कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार) अचल संपत्ति के अधीन संपत्ति के हित में किये गए आवश्यक विकास जैसे– रोड, नाली, पार्किंग, पेयजल व्यवस्था आदि पर किये गये वास्तविक व्यय को सम्मिलित करते हुए नियत किया गया है।
6. निविदा दाता को ई–निविदा में भाग लेते समय दुकान के आरक्षित मूल्य का 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप अमानत राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
7. बिना अमानत राशि जमा किये किसी भी निविदा दाता को ई–निविदा में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं रहेगा।
8. आरक्षित वर्ग की दुकान हेतु निविदा में उसी वर्ग के ही लोग शामिल होंगे, जिनके पास उस वर्ग का जाति प्रमाणपत्र **(सक्षम अधिकारी)** का होना अनिवार्य होगा।
9. सम्पत्ति के उच्चतम मूल्य की प्राप्त निविदा को स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। आरक्षित मूल्य से अधिक प्राप्त निविदा मूल्य को स्वीकार न करने की स्थिति में उसके कारण उल्लेखित करते हुए उच्चतम मूल्य के निविदा दाता को लिखित में सूचित किया जावेगा।
10. उच्चतम निविदा दाता द्वारा विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि निविदा खुलने के दिनांक से 21 दिवस में जमा की जावेगी। शेष राशि जिसमें प्रतिभूति राशि को शामिल किया जा सकता है, निविदा दर की अंतिम स्वीकृति के संबंध में लिखित सूचना प्राप्त होने पर 120 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। यदि निर्दिष्ट समय सीमा में निविदादाता के द्वारा अपेक्षित राशि जमा नहीं की जाती है, तो निकाय को नई निविदा आमंत्रित किये जाने के पूर्व निविदा दाता की राशि जमा कराये जाने के लिए उपयुक्त कारण दर्शाते हुए शेष राशि पर 01 प्रतिशत मासिक ब्याज अधिरोपित करते हुए समय सीमा में अधिकतम 120 दिनों की वृद्धि कर सकेगा।
11. यदि किसी कारण से निविदादाता की निविदा को अमान्य किया जाता है तो निविदादाता की जमा राशि वापस कर दी जावेगी किन्तु ब्याज देय नही होगा।
12. उच्चतम जमा आरक्षित मूल्य न तो कभी वापसी के योग्य होगा न ही किसी अन्य बकाया राशि में समायोजित होगा।
13. आरक्षित वर्ग की दुकान उसी संवर्ग को अंतरित की जा सकेगी जिस वर्ग के लिए दुकान आरक्षित है। नामांत्रण की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
14. आरक्षित वर्ग की दुकान तीन बार सार्वजनिक सूचना द्वारा निविदा आमंत्रित किये जाने पर भी मूल्य प्राप्त नहीं होने पर उक्त दुकान को नियम में दिये गये सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके अनारक्षित वर्ग को निविदा आमंत्रित कर आबंटित किया जा सकेगा।
15. निविदादाता को निविदा स्वीकृति के पश्चात स्वयं के व्यय पर विधिवत रजिस्टर्ड अनुबंध पंजीयन कराना अनिवार्य होगा एवं इस निविदा में शामिल सभी शर्ते अनुबंध का एक भाग होंगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद माकड़ोन, जिला उज्जैन

16. निविदादाता दुकान में नगर परिषद माकड़ोन की स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा न ही किसी अन्य व्यक्ति को उप किरायेदार (सबलेट) करेगा। बिना नगर परिषद माकड़ोन की सक्षम स्वीकृति के व दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर नहीं दे सकेगा।
17. दुकानदार दुकान का उपयोग सिर्फ व्यवसाय हेतु ही करेगा अन्यथा दुकान की लीज समाप्त करने का अधिकार निकाय को सुरक्षित रहेगा।
18. दुकान में प्रतिबंधित व्यवसाय/मादक पदार्थ/पेट्रलियम पदार्थ/आपत्तिजनक सामग्री आदि का व्यवसाय या गोदाम के रूप में उपयोग नहीं कर सकेगा इसके अतिरिक्त लीजधारी उक्त दुकान में ऐसा व्यवसाय भी नहीं कर सकेगा जो लोकशांती या पर्यावरण को हानि पहुचाता हो।
19. दुकानों से 20 मीटर की दूरी में रहवासी क्षेत्र स्थित है इस कारण उक्त दुकानो में मांसाहारी दुकान,अण्डा,मछली,मटन,मूर्गा आदि की दुकान स्थापित करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई दुकानदार उक्त शर्त का उल्लंघन करता है तो निकाय को दुकान की नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा तथा दुकानदार की आपत्ति मान्य योग्य नहीं रहेगी।
20. कब्जा प्राप्त करने की दिनांक से सफल निविदादाता को दुकान का तीन माह का अग्रिम किराया नगर परिषद माकड़ोन में जमा कराना अनिवार्य होगा जो वापसी योग्य नही होगा।
21. दुकान का किराया प्रत्येक वित्तिय वर्ष की समाप्ति तक नगर परिषद माकड़ोन कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। समय पर किराया जमा न करने पर 10 प्रतिशत राशि किराये के साथ अधिभार के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
22. यदि दुकान को किसी प्राकृतिक आपदा, दंगा ग्रस्त भीड या अन्य दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इसकी क्षति को दुकानदार को ही वहन करना होगा।
23. दुकान का रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत निविदादाता के द्वारा किया जावेगा।
24. लोकहित में यदि आवश्यक हुआ तो उक्त दुकान का अंतरण निरस्त किया जा सकेगा और उसका व्यवस्थापन लीज अवधि में वैकल्पिक स्थान पर निकाय द्वारा किया जावेगा।
25. मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी समय-समय पर दुकान का निरीक्षण कर सकेंगे और उचित निर्देश दे सकेंगे जो लोकहित में आवश्यक हो।
26. केन्द्र सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा आरोपित कर/शुल्क एवं अन्य प्रभारो का भुगतान दुकानदारों को करना होगा।
27. उपरोक्त शर्तो के अलावा मध्यप्रदेश शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम व निर्देश दोनो पक्षों पर बंधनकारी होंगे।
28. दुकान की निविदा प्रस्तुत करने के उपरांत यह माना जावेगा कि निविदादाता ने दुकान नीलामी के नियमो एवं शर्तो को अच्छी तरह से पढ एवं समक्ष लिया है।
29. दुकान हेतु बनाये गए नियमों एवं उपबंधो और अनुबंध की शर्तो के अनुपालन में चूक करने की दशा में दुकान का आबंटन/अंतरण निरस्त करने का अधिकार निकाय को सुरक्षित रहेगा।
30. दुकान नीलामी की सम्पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात ही विधिवत रूप से आधिपत्य दुकानदार को सौंपा जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद माकड़ोन, जिला उज्जैन
नगर परिषद माकड़ोन
जिला उज्जैन